

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह (म.प्र.)

वाहन नीलाम विज्ञप्ति

क्रमांक ३/७।।।।। /विधिक/विक्रय समिति/2024 दमोह दिनांक—२५।१०।/2024

सर्वसाधारण को इस नीलाम विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि, जिला न्यायालय दमोह के परिसर में स्थित अनुपयोगी (1) शासकीय वाहन क्रमांक एम.पी.-02 एच.सी.-0222 टाटा इंडिगो माजा कार की निष्प्रयोजित राशि रूपये 1,50,000/- मात्र (जहाँ है, जिस स्थिति में है), उक्त शासकीय वाहन को दिनांक- 21.11.2024 को प्रातः 11:00 बजे एवं हटा न्यायालय परिसर में स्थित अनुपयोगी (2) शासकीय वाहन क्रमांक एम.पी.-02 एच.सी.-0161 महिन्द्रा जायलो कार की निष्प्रयोजित राशि रूपये 1,60,000/- मात्र (जहाँ है, जिस स्थिति में है) उक्त शासकीय वाहन को दिनांक- 22.11.2024 को प्रातः 11:00 बजे खुली निविदा के माध्यम से नीलाम किया जाना है। उक्त नीलामी में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह के नाम से दोनों शासकीय वाहनों हेतु पृथक-पृथक देय राशि 3,500/-रूपए मात्र का बैंक ड्राफ्ट अमानत राशि के रूप में जमा कर भाग लिया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार वाहनों की खुली निविदा के माध्यम से नीलामी हेतु निविदा की शर्तें निम्नानुसार हैं -

-::निविदा की शर्तें::-

01. शासकीय वाहन क्रमांक एम.पी.-02 एच.सी.-0222 टाटा इंडिगो माजा कार दमोह की निष्प्रयोजित राशि रूपये 1,50,000/- मात्र (शासकीय बोली) नियत है।
02. शासकीय वाहन क्रमांक एम.पी.-02 एच.सी.-0161 महिन्द्रा जायलो तहसील न्यायालय हटा जिला-दमोह निष्प्रयोजित राशि रूपये 1,60,000/- मात्र (शासकीय बोली) नियत है।
03. उक्त अनुपयोगी/अपलेखित शासकीय वाहनों की नीलामी में लेने/बोली लगाने हेतु दोनों शासकीय वाहनों हेतु पृथक-पृथक अमानत राशि रूपये 3,500/- मात्र (रूपये तीन हजार पाँच सौ मात्र) का बैंक ड्राफ्ट प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह के नाम देय, सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने की पात्रता होगी।
04. अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट नीलामी की समाप्ति पर, असफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को वापस लौटाया जावेगा तथा सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को उनके द्वारा लगायी गयी बोली/स्वीकृत की गयी पूरी राशि जमा करने के पश्चात् लौटाया जावेगा।
05. किसी भी बोली को बिना कारण बताये पूर्ण रूप से स्वीकार करने/अस्वीकार करन/आंशिक रूप से स्वीकार करने/अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार सर्वथा, 'विभागीय नीलामी समिति' दमोह को प्राप्त होगा।
06. अतः नियत दिनांक के पूर्व संबंधित बोलीकर्ता द्वारा उपरोक्तानुसार वाहनों का अवलोकन उपरोक्तानुसार स्थल पर किया जा सकेगा।
07. नीलामी के संबंध में बोली या विवाद के संबंध में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम बोली लगाने वाले पर बंधनकारी होगा।
08. अधिकतम बोली की राशि की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात् अनुपयोगी शासकीय वाहन केता को प्रदान किया जावेगा।
09. अधिकतम बोलीकर्ता को स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् 07 दिवस के अंदर बोली की संपूर्ण राशि बैंक ड्राफ्ट जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह के नाम पर देय हो, जमा करवाकर वाहन को स्वयं के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा अन्यथा अमानत राशि शासन के पक्ष में राजसात की जावेगा।

10. संबंधित वाहन कमांक शासकीय वाहन कमांक एम.पी.-02 एच.सी.-0222 टाटा इंडिगो माजा कार दमोह के भौतिक निरीक्षण हेतु न्यायालय दमोह जिला दमोह परिसर में उपलब्ध है एवं शासकीय वाहन कमांक एम.पी.-02 एच.सी.-0161 महिन्द्रा जायलो तहसील न्यायालय हटा परिसर में उपलब्ध है इस हेतु जिला नाजिर/नायब नाजिर दमोह/हटा से कार्यालयीन दिनांक/समय में संपर्क किया जा सकता है।

11. बोलीकर्ताओं द्वारा नीलामी में उपस्थित होकर वाहनों को क्य करने हेतु बोली लगाने की स्थिति में नीलामी संबंधी संपूर्ण शर्तें स्वीकार कर ली गयी हैं, ऐसा माना जावेगा।

12. अनुपवारी शासकीय वाहनों के विक्रय के पश्चात् कार्यालय द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने पर, उच्चत शासकीय वाहनों का नियमानुसार शासकीय पंजीयन विलोपित करने एवं केता के नाम पंजीयन एवं बीमा कराये जाने की संपूर्ण जवाबदारी केता की होगी।

13. वाहन कमांक चेचिस नंबर, इंजिन नंबर का मिलान निविदाकार को नीलामी स्थान पर ही करना होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति क्य संबंधी कार्यवाही पूर्ण हाने के उपरांत मान्य नहीं की जावेगी।

14. उपरोक्त नियमों की शर्तों का शिथिलिकरण रथापना पर गठित विभागीय नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

15. दमोह न्यायालय परिसर में स्थित शासकीय वाहन क. एम.पी.-02 एच.सी.-0222 टाटा इंडिगो माजा कार के संबंध में पूछताछ हेतु श्री सौरभ मिश्रा (विक्रय आमीन) के दूरभाष नंबर 8109789960 पर कार्यालय समय में संपर्क कर सकते हैं।

16. हटा न्यायालय परिसर में स्थित शासकीय वाहन क. एम.पी.-02 एच.सी.-0161 महिन्द्रा जायलो कार के संबंध में पूछताछ हेतु श्री नेकराम साहू (नायब नाजिर, हटा) के दूरभाष नंबर 9893599593 पर कार्यालय समय में संपर्क कर सकते हैं।

५२५१०/८८
कृते—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह (म.प्र.)

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर दमोह को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कलेक्ट्रेट कार्यालय नोटिस बोर्ड पर नीलाम विज्ञप्ति चश्पा किया जाना सुनिश्चित करें।
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, दमोह को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नगर पालिका कार्यालय नोटिस बोर्ड पर नीलाम विज्ञप्ति चश्पा किया जाना सुनिश्चित करें।
3. जिला नाजिर, दमोह को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्यालय—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह के नोटिस बोर्ड पर नीलाम विज्ञप्ति चश्पा किया जाना सुनिश्चित करें।
4. श्री नेकराम साहू, नायब नाजिर हटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Sd.
कृते—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह (म.प्र.)